

जयपुर दिनांक 11-1-2021

अधिसूचना

राजस्थान दूकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम—1959 की धारा 10(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम आयुक्त राजस्थान एतद द्वारा इस विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रसारित अधिसूचना को अधिष्ठित करते हुए निम्न लिखित अधिकारियों को उनके समक्ष अंकित क्षेत्रों के लिए श्रम निरीक्षक द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन, नवीनीकरण अथवा संशोधन हेतु किये जाने वाले आवेदनों को निरस्त करने की स्थिति में अपीलीय अधिकारी नियुक्त करती हैः—

| क्र. सं. | अधिकारी | क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया गया |
|----------|---|--------------------------------------|
| 1. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, जयपुर | जिला जयपुर |
| 2. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, अजमेर | जिला अजमेर (व्यावर उपखण्ड को छोड़कर) |
| 3. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, जौधपुर | जिला जौधपुर |
| 4. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, उदयपुर | जिला उदयपुर |
| 5. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, कोटा | जिला कोटा |
| 6. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, भरतपुर | जिला भरतपुर |
| 7. | संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, बीकानेर | जिला बीकानेर |
| 8. | उप श्रम आयुक्त, अलवर | जिला अलवर |
| 9. | उप श्रम आयुक्त, भीलवाडा | जिला भीलवाडा |
| 10. | उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़ | जिला चित्तौड़गढ़ |
| 11. | उप श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर | जिला श्रीगंगानगर |
| 12. | उप श्रम आयुक्त, पाली | जिला पाली |
| 13. | सहायक श्रम आयुक्त, बासंवाडा | जिला बासंवाडा |
| 14. | सहायक श्रम आयुक्त, नागौर | जिला नागौर |
| 15. | सहायक श्रम आयुक्त, स०माधोपुर | जिला स०माधोपुर |
| 16. | सहायक श्रम आयुक्त, सीकर | जिला सीकर |
| 17. | सहायक श्रम आयुक्त, बालोतरा | जिला बालोतरा |
| 18. | सहायक श्रम आयुक्त, टोंक | जिला टोंक |
| 19. | श्रम कल्याण अधिकारी, सिरोही | जिला सिरोही |
| 20. | श्रम कल्याण अधिकारी, व्यावर उपखण्ड | व्यावर उपखण्ड जिला अजमेर |

| | | |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 21. | श्रम कल्याण अधिकारी, बांरा | जिला बांरा |
| 22. | श्रम कल्याण अधिकारी, बूंदी | जिला बूंदी |
| 23. | श्रम कल्याण अधिकारी, चुरू | जिला चुरू |
| 24. | श्रम कल्याण अधिकारी, दौसा | जिला दौसा |
| 25. | श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर | जिला धौलपुर |
| 26. | श्रम कल्याण अधिकारी, झूंगरपुर | जिला झूंगरपुर |
| 27. | श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ | जिला हनुमानगढ़ |
| 28. | श्रम कल्याण अधिकारी, जालौर | जिला जालौर |
| 29. | श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड़ | जिला झालावाड़ |
| 30. | श्रम कल्याण अधिकारी, झुंझुनूं | जिला झुंझुनूं |
| 31. | श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद | जिला राजसमंद |
| 32. | श्रम कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़ | जिला प्रतापगढ़ |
| 33. | श्रम कल्याण अधिकारी, करौली | जिला करौली |
| 34. | श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर | जिला जैसलमेर |

उक्त अधिसूचना में जिले में कार्यरत वरिष्ठतम् अधिकारी अपीलीय अधिकारी होंगे। वरिष्ठतम् अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उससे कनिष्ठ अधिकारी अपीलीय अधिकारी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(पतंजलि भू)

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान जयपुर।

जयपुर दिनांक 11-1-2021

क्रमांक एफ.14(1)(1)श्रम/67 पार्ट-III

प्रतिलिपि :-

- निदेशक लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
- अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0)।
- संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, (समस्त)।
- उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी.सैल मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से करवाने का श्रम करें।
- गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं

पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान जयपुर।